

03

निधि  
6/8/19

# फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

RCMS

2019/00015

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

सिणधरी

मुंकाराम वल्ड उदाराम जाट  
पीपरामा हाल सिणधरी-धौलीरा

मु. न. 03 सन/2019

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/7/19	<p>पटवारी हल्का.....<u>सिणधरी</u>..... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्...<u>2076</u>... में मौजा...<u>सिणधरी-धौलीरा</u>... के खसरा संख्या .....<u>61</u>..... रकबा .....<u>0-12</u>..... की किस्म भूमि <u>श्री. सु. गोचर</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर <del>कर</del> कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>06-08-19</u>..... को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>[Signature]</u> तहसीलदार सिणधरी</p> <p><u>पत्रावली प्रस्तुत हुई। गैर सायल अनुपस्थित पटवारी हल्का उपस्थित। गैर सायल के तीन बार धावा लगाए पर भी अनुपस्थित नोटिस तामिल के बावजूद भी अनुपस्थित, अतः गैर सायल के अतिक्रमण मानते हुए, पत्रावली के सत्य सुधार हेतु, निर्णय भरण ले लिखा जाकर प्रस्तुत है। पत्रावली के सत्य सुधार हेतु कर दफ्तर दाखिल है।</u></p> <p style="text-align: center;"><u>[Signature]</u> तहसीलदार सिणधरी जिला-बा.दमेर</p>	6/8/19

[Signature]  
पटवारी